भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4006
17 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: कर्नाटक में परंपरागत कृषि विकास योजना

4006. श्री बी. वाई. राघवेन्द्रः
डॉ. के. सुधाकरः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के अंतर्गत जिला-वार कितने किसान समूहों का गठन किया गया है और कुल कितने क्षेत्रफल को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कर्नाटक में पीकेवीवाई के अंतर्गत संस्वीकृत, जारी की गई और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्नाटक में पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम (पीजीएस-इंडिया) के अंतर्गत पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी है और वर्तमान में जिला-वार कितने किसान जैविक प्रमाणीकरण, यदि कोई हों, की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(घ) कर्नाटक में इन्हीं वर्षों के दौरान प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर बढ़ने के लिए कितने किसानों को प्रशिक्षित किया गया है;

(ङ) क्या सरकार ने कर्नाटक में जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए प्रमाणन में विलंब, बाजार मान्यता, खरीद सहायता और उचित मूल्य प्राप्ति से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(च) पीकेवीवाई अथवा संबंधित योजनाओं के अंतर्गत कर्नाटक में प्रमाणित जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए सरकार द्वारा समर्थित, बाजार संपर्क, ब्रांडिंग, मूल्यवर्धन, निर्यात सुविधा अथवा खरीद पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क): कर्नाटक राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत पिछले पांच वर्षों अर्थात वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 के दौरान 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 500 क्लस्टर बनाए गए हैं। जिलावार आंकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ख): कर्नाटक में पिछले पांच वर्षों में पीकेवीवाई के तहत संस्वीकृत/रिलीज और व्यय का विवरण नीचे दिया गया है (लाख रुपये में)।

वर्ष	स्वीकृत एवं जारी	व्यय
2020-21	10.10	10.10
2021-22	0.00	0.00
2022-23	512.55	512.55
2023-24	2803.00	68.25
2024-25	1950.00	487.00

(ग) एवं (ङ): पार्टीसिपेटरी गारंटी सिस्टम (पीजीएस) - भारत जैविक प्रमाणन कार्यक्रम एक अधिदेशित प्रक्रिया के माध्यम से चलाया जाता है जिसमें स्थानीय समूह की बैठक/प्रशिक्षण, पीअर इंस्पेक्शन, क्षेत्रीय परिषदों द्वारा ऑनलाइन सत्यापन और फिर प्रमाण पत्र जारी करना शामिल है। कर्नाटक में 41,892 किसान पंजीकृत हैं, जिनमें से 20,735 किसान पीजीएस-भारत जैविक प्रमाणन कार्यक्रम के तहत प्रमाणित हैं। सरकार पीजीएस प्रमाणन कार्यक्रम को निरंतर सहायता और निगरानी प्रदान करती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं जैविक कृषि केंद्र पीजीएस प्रमाणन का सचिवालय है और अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कार्यक्रम की निगरानी नियमित रूप से करता है। मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) और राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एनएसी) के माध्यम से प्रशासनिक, नीतिगत सहायता और निगरानी सुविधा प्रदान की जाती है।

(घ): पिछले 5 वर्षों के दौरान पीकेवीवाई के तहत 11,630 किसानों को प्रशिक्षित और लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2024-25 में आरंभ हुए राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (एनएमएनएफ) के तहत 1.24 लाख किसानों को प्रशिक्षित और उन्हें लाभान्वित किया गया है।

(च): कर्नाटक राज्य बागवानी विभाग पीकेवीवाई योजना के तहत प्रमाणित जैविक किसानों को ब्रांडिंग, मूल्यसंवर्धन और खरीद संबंधी पहलों में सहायता प्रदान कर रहा है। कर्नाटक सरकार ने जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग और एफपीओ/एफपीसी के माध्यम से मूल्यसंवर्धन इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए कार्रवाई आरंभ की है, जिसमें फ्रूट राइपनिंग चैंबर, पैक हाउस, बाजार आउटलेट, प्याज भंडारण संरचना और प्रसंस्करण इकाई जैसे काली मिर्च, हल्दी और अदरक और आम के लिए हॉट वॉटर ट्रीटमेंट शामिल हैं। कर्नाटक राज्य में प्योर एन श्योर (बैंगलोर), कर्नाटक ऑर्गेनिक्स, काव्या ऑर्गेनिक्स लिमिटेड आदि जैसे ऑर्गेनिक ब्रांड विकसित हुए हैं, जिन्होंने पीजीएस जैविक प्रमाणन को अपनाया है।
